संख्या-2024/001-554422024

प्रेषक,

राजेश कुमार-।।,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खेल अनुभाग लखनऊ : दिनांक-04/03/2024

विषयः- जनपद सहारनपुर में स्पोर्टस कालेज के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-जी-1202/सहारनपुर स्पो0का0पत्रा0/2020-21, दिनांक 09.01.2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल संलग्न बी0एम0-9 (भाग-1) प्रपत्र संख्या-A042-2023-2024-83422024, दिनांक 01 मार्च, 2024 के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0 7,00,00,000/-(रुपये सात करोड़ मात्र) की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था करते हुए उक्त सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1)- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 7,00,00,000/-(रुपये सात करोड़ मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित कर वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 17.03.2023 एवं कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 19.09.2023 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपलब्ध बजटीय व्यवस्था के अन्तर्गत दी जा रही है।

(2) निदेशक, खेल द्वारा बचत की मद में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।

(3) पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का समर्पण किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(5) धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुसार उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिस प्रयोजन के लिये पुनर्विनियोग किया जा रहा है।

(6) निदेशक, खेल द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 एवं 151 में निर्दिष्टि प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(7) वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023, दिनांक 19.09.2023 का पूर्णतयः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) शासनादेश संख्या-3431/बयालिस-2010-18(कालेज)/ 2007, दिनांक 12.01.2011, शासनादेश संख्या-244/बयालिस-2014-18(कालेज)/2007, दिनांक 13.02.2014, शासनादेश संख्या- 2517/बयालिस-2014-18(कालेज)/2007, दिनांक 30.09.2014, शासनादेश संख्या-2069/बयालिस-2020-18(कालेज)/2007, दिनांक 26.03.2021, शासनादेश संख्या-794/बयालिस-2021-18(कालेज)/2007, दिनांक 26.03.2021 एवं शासनादेश संख्या-2023/001-1909422023, दिनांक 06.07.2023 में निहित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 7,00,00,000 (रुपये सात करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 022 **लेखा शीर्षक** 4202038001000 स्पोर्ट्स कालेज ,सहारनपुर **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,
राजेश कुमार-।।
विशेष सचिव।

संख्या-2024/ 001-554422024, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1)- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2)- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(3) आयुक्त सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
(4)- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5)- जिलाधिकारी/ क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, सहारनपुर।
(6)- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 ।
(7)-सचिव, प्रबन्ध समिति, उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स कालेजेज सोसाइटी, लखनऊ।
(8)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2 .
(9)- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5 .
(10)- नियोजन विभाग-4 .
(11)- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,
हृदय नारायण सिंह यादव
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A042-20232024-83422024

विषय:- जनपद सहारनपुर में स्पोर्ट्स कालेज के निर्माण के सम्बन्ध में (पुनर्विनियोग)

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
022	42020380009 00 (स्पोर्टस कालेज, फतेहपुर)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र	50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र	47,00,000 रुपये सैंतालीस लाख मात्र	0	50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र	2023 - 2024
022	42020380070 00 (जनपद वाराणसी व मेरठ में शूटिंग रेन्ज की स्थापना)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	7,81,30,00 0 रुपये सात करोड़ इक्यासी लाख तीस हजार मात्र	2,91,70,00 0 रुपये दो करोड़ इक्यानबे लाख सत्तर हजार मात्र	2,81,30,00 0 रुपये दो करोड़ इक्यासी लाख तीस हजार मात्र	0	7,81,30,00 0 रुपये सात करोड़ इक्यासी लाख तीस हजार मात्र	2023 - 2024
022	42020380066 00 (जनपद औरैया में स्पोर्टस स्टेडियम का निर्माण)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	2,21,25,00 0 रुपये दो करोड़ इक्कीस लाख पच्चीस हजार मात्र	2,21,25,00 0 रुपये दो करोड़ इक्कीस लाख पच्चीस हजार मात्र	2,21,25,00 0 रुपये दो करोड़ इक्कीस लाख पच्चीस हजार मात्र	0	2,21,25,00 0 रुपये दो करोड़ इक्कीस लाख पच्चीस हजार मात्र	2023 - 2024
022	42020380064 00 (जनपद प्रयागराज के तरणताल का जीर्णोद्धार)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	3,00,00,00 0 रुपये तीन करोड़ मात्र	3,00,00,00 0 रुपये तीन करोड़ मात्र	3,00,00,00 0 रुपये तीन करोड़ मात्र	0	3,00,00,00 0 रुपये तीन करोड़ मात्र	2023 - 2024
022	42020380053 00 (जनपद देवरिया में भाटपार मलहना-मलहनी में	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	1,47,000 रुपये एक लाख सैंतालीस हजार मात्र	1,47,000 रुपये एक लाख सैंतालीस हजार मात्र	1,47,000 रुपये एक लाख सैंतालीस हजार मात्र	0	1,47,000 रुपये एक लाख सैंतालीस हजार मात्र	2023 - 2024

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	स्टेडियम का निर्माण)							
022	4202038009100 (सैफई स्पोर्ट्स कालेज, इटावा में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र	0	2023 - 2024
022	4202031021100 (जनपद शामली में स्टेडियम का निर्माण)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	6,00,00,000 रुपये छह करोड़ मात्र	6,00,00,000 रुपये छह करोड़ मात्र	6,00,00,000 रुपये छह करोड़ मात्र	6,00,00,000 रुपये छह करोड़ मात्र	0	2023 - 2024
022	4202038001202 (ऑलवेदर तरणताल को कवर्ड किये जाने का कार्य)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	4,00,00,000 रुपये चार करोड़ मात्र	3,72,22,000 रुपये तीन करोड़ बहत्तर लाख बाईस हजार मात्र	3,70,00,000 रुपये तीन करोड़ सत्तर लाख मात्र	0	4,00,00,000 रुपये चार करोड़ मात्र	2023 - 2024
कुल					₹ 19,21,02,000	₹ 7,00,00,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
022	4202038001000 (स्पोर्ट्स कालेज ,सहारनपुर)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	10,00,00,000 रुपये दस करोड़ मात्र	19,21,02,000 रुपये उन्नीस करोड़ इक्कीस लाख दो हजार मात्र	7,00,00,000 रुपये सात करोड़ मात्र	17,00,00,000 रुपये सत्रह करोड़ मात्र	2023-2024
कुल				₹ 19,21,02,000	₹ 7,00,00,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

(1) स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है :-

उपरोक्त मदों में स्वीकृत लागत के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि स्वीकृत होने तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने के कारण बचत सम्भावित है।

(1) स्तम्भ-8 में उपलब्ध बचत अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :-

जनपद सहारनपुर में स्पोर्टस कालेज हेतु रू0 12079.24 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत लागत के सापेक्ष कार्यदायी संस्था उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 को अब तक कुल रू0 5800.00 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

स्वीकृत लागत के सापेक्ष कार्यदायी संस्था को रू0 12079.24 – 5800 = 6279.24 लाख की धनराशि दिया जाना शेष है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में लेखाशीर्षक " 4202- शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-10-स्पोर्टस कालेज सहारनपुर-24-वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत रू0 1000.00 लाख की बजटीय व्यवस्था उपलब्ध करायी गयी है, जो संस्था को उपलब्ध करायी जा चुकी है। इस प्रकार इस मद में कोई धनराशि अवशेष नहीं है।

क्रीड़ाधिकारी, क्षेत्रीय खेल कार्यालय, सहारनपुर द्वारा अपने पत्र दिनांक 31.10.2023 के माध्यम से कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा पूर्व में अवमुक्त धनराशि का प्रेषित उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रतियोगिता करते हुए निदेशालय को उपलब्ध कराया गया है। इकाई प्रभारी द्वारा 06 माह हेतु रू0 4400.00 लाख की धनराशि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-518-E-5-229-X-2023-24-दिनांक:01-03-2024

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम

उ0प्र0 प्रयागराज।

राजेश कुमार-।।
विशेष सचिव।

कपिल देव भारती
अनु सचिव।

संख्या : A042-20232024-83422024 दिनांक- 01 मार्च, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक, खेल, खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)
5- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से
राजेश कुमार-।।
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।